

—:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::—

क्रमांक...../एक-6-25/11

// ज्ञापन //

16 MAY 2025
उज्जैन, दिनांक मई, 2025

प्रति,

.....
.....
(समस्त न्यायालय जिला उज्जैन)

विषय :- ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में अपने न्यायालय में लंबित प्रकरणों का भौतिक सत्यापन करने बाबत।

—0000—

उपरोक्त विषय में लेख है कि वर्ष 2025 के ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में लंबित प्रकरणों का भौतिक सत्यापन किया जाना है।

अतः आप आपके न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवधि समाप्ति के पूर्व अपने-अपने न्यायालय में लंबित समस्त प्रकार के प्रकरणों का भौतिक सत्यापन कर उनका मिलान सी.आई.एस. से करें तथा जो प्रकरण भौतिक रूप से उपलब्ध हैं, उनकी यदि सी.आई.एस. में इन्ट्री नहीं हुई है तो उसकी इन्ट्री सी.आई.एस. में करवाई जाना सुनिश्चित करें एवं जो प्रकरण अतिरिक्त रूप से सी.आई.एस. में दर्शित हो रहे हैं किंतु भौतिक रूप से आपके न्यायालय में लंबित नहीं होकर अन्य न्यायालय से संबंधित हो तो इस संबंध में भी आवश्यक सुधार कर भौतिक रूप से तथा सी.आई.एस. में प्रकरणों में आ रही भिन्नता को सुधार करें। साथ ही यदि किसी प्रकरण की फाईलिंग दिनांक/रजिस्ट्रेशन दिनांक एवं वर्ष में भी भिन्नता हो तो इस संबंध में आवश्यक सुधार करें।

भौतिक सत्यापन किये जाने के पश्चात् तत्संबंध में अपना प्रतिवेदन ग्रीष्मकालीन अवकाश पश्चात् दिनांक 14.06.2025 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें। साथ ही उक्त संबंध में संबंधित कर्मचारीगण से पालन प्रतिवेदन/घोषणा पत्र भी लिया जावे कि वे समस्त प्रकरण जो भौतिक रूप से न्यायालय में उपलब्ध हैं, उन समस्त प्रकरणों का मिलान सी.आई.एस. में उपलब्ध प्रकरणों से कर लिया गया है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)